चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः पी0ए0/3010
दिनांक : 28.09.2020

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लख्मी चन्द पटवारी कॉलेज ऑफ एजूकेशन, खेकड़ा, बागपत अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2019–20 के 50 प्रतिशत सीटों के सापेक्ष अल्पसंख्यक कोटे में सीधे किये गये कथित प्रवेशित अभ्यर्थियों के परीक्षा फॉर्म भरवाने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति की आख्या तथा तथ्यों का संज्ञान लेते हुए संस्थान को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है किः–

संस्थान द्वारा बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2019–20 में अल्पसंख्यक कोटे की 50 प्रतिशत सीटों के सापेक्ष विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपंजीकृत अभ्यर्थियों के सीधे प्रवेश किये गये हैं। उनकी अर्हता हेतु अनिवार्य शारीरिक दक्षता परीक्षण व साक्षात्कार भी सम्पन्न नहीं कराया गया।

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली सत्र 2019–20 में स्पष्ट अंकित है कि विश्वविद्यालय के पोर्टल पर बिना पंजीकरण कराये किसी अभ्यर्थी का प्रवेश मान्य नहीं होगा तथा अल्पसंख्यक संस्थानों को भी स्पष्ट निर्देश है कि पंजीकरण के उपरान्त ही न्यूनतम अर्हता धारित, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण भी सम्मिलित है, के अभ्यर्थियों का ही अल्पसंख्यक कोटे में 50 प्रतिशत सीटों पर सीधे प्रवेश ऑनलाइन किया जा सकता है।

अतः आपके संस्थान द्वारा बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में पंजीकरण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण पास किये बिना तथा साक्षात्कार में सम्मिलित कराये बिना ही नियम विरूद्ध ढ़ंग से अल्पसंख्यक कोटे में कथित प्रवेश दिये गये हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का संस्थान द्वारा पालन न करने के कारण छात्रों की परीक्षा नहीं करायी जा सकती है। इस आशय का निर्णय दिनांकः 16.03.2020 को बैठक में भी लिया जा चुका है। जो संस्थान को विश्वविद्यालय के पत्रांकः–पी0ए0/2619 दिनांक 12.03.2020 को प्रेषित किया गया था, व इस बैठक में संस्थान के प्रतिनिधि श्री पंकज शर्मा सम्मिलित हुए थे। पूर्व में ही विश्वविद्यालय की ओर से संस्थान को इस आशय का पत्र अधोहस्तक्षरी द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उत्तर प्रदेश शासन के दिशा–निर्देशों के आलोक एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार प्रकरण बलहीन होने के कारण निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,
28-09-2020
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति के सूचनार्थ।
03. वैयक्तिक सहायक परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रभारी, कमैटी सेल, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. प्राचार्य/सचिव, लख्मी चन्द पटवारी कॉलेज ऑफ एजूकेशन, खेकड़ा, बागपत।
06. विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता।
07. प्रभारी, वेबसाइट।

कुलसचिव